भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2545
(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च , 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है)

एकल अनुबंध

2545.**श्री प्रवीण पटेल:**
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री पी. सी. मोहन:
श्री मनोज तिवारी:
श्री खगेन मुरमु:
श्री बलभद्र माझी:

क्या **वित्त**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)'एकल अनुबंध' जैसी डिजिटल पहलों काअंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगी कॉर्पोरेट इकाइयों के लिए समग्र कारोबारी सुगमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या "एकल अनुबंध" के अतंर्गत शुरू की गई ई-बांड और ई-बैंक गारंटी सुविधा को कॉर्पोरेट वित्तीय अनुपालन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा; और

(ग) सरकार किस प्रकार व्यवसायों द्वारा उक्त अनुबंध को निर्बाध समावेशन सुनिश्चित करने की योजना बना रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क):'एकल अनुबंध' की डिजिटल पहल ने विभिन्न बंदरगाहों पर प्रस्तुत किए जा रहे लेन-देन-वार बॉन्ड के स्थान पर आयातकों और निर्यातकों के लिए एंड-टू-एंड स्वचालन के साथ एकल अखिल भारतीय बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक बांड की शुरुआत की है और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के साथ एकीकरण के माध्यम से बांड के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के ऑनलाइन लिंकिंग की सुविधा प्रदान की है।

इन डिजिटल समाधानों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगी कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक और सक्षम बना दिया है।

(ख): कॉर्पोरेट वित्तीय अनुपालन प्रणालियों के साथ ई-बॉन्ड और ई-बैंक गारंटी सुविधा को एकीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने व्यवसायों द्वारा कार्यान्वयन और अपनाने के लिए दिनांक 17 फरवरी, 2025 को परिपत्र संख्या 04/2025-सीमा शुल्क जारी किया है।

*****